यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

संतरो देवी एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 7009, 2008)

(2 दिसंबर 2008)

[एस.बी. सिन्हा और साइरियक जोसेफ, जे.जे]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 अध्याय XI-ss.145, 146, 147 और 149-मुआवजे का भुगतान- बीमाकर्ता का दायित्व- ट्रक का बीमा अपीलकर्ता के द्वारा किया गया और बैंक के पास बंधक रखा गया- बीमा का नवीनीकरण बैंक द्वारा किया गया- ट्रक मालिक की मृत्यु हो गई - ट्रक का पंजीकरण अपने नाम पर हस्तांतरित कराने के लिए बैंक द्वारा या मृत मालिक के उत्तराधिकारियों द्वारा कोई कदम नहीं लिया गया - बीमा पॉलिसी मृतक मालिक के नाम पर नवीनीकृत होती रही - तीन साल बाद, ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें चालक की मृत्यु हो गई - उसके कानूनी उत्तराधिकारी मृत मालिक की विधवा और अपीलकर्ता के खिलाफ श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा किया - अपीलकर्ता ने यह कहते हुए अपने दायित्व से इनकार कर दिया कि मृत व्यक्ति के पक्ष में कोई अनुबंध नहीं किया जा सकता है और दुर्घटना की तारीख पर, कोई कानूनी बीमा पॉलिसी लागू नहीं थी - मुआवजे का भुगतान करने का

दायित्व - माना गया: अपीलकर्ता उत्तरदायी है - जब बीमा का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, तो बीमाकर्ता मालिक को प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होता है - एक वैध अनुबंध को शून्य नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि यह नहीं दिखाया गया कि अनुबंध प्राप्त करने में, कोईZ धोखाधड़ी की गई है, - तथ्यों के आधार पर, धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं बनता - यदि इस तथ्य की जानकारी के बावजूद कि मूल मालिक की मृत्यु हो गई है, अपीलकर्ता हर साल उसकी विधवा या बैंक से प्रीमियम स्वीकार कर रहा था, आवश्यक निहितार्थ द्वारा एक अनुबंध, अस्तित्व में आया था - 'स्वीकृति उप मौन' का सिद्धांत लागू था 'स्वीकृति उप मौन' का सिद्धांत- कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923- एसएस.4 और 23. एलएल

प्रश्नगत ट्रक का बीमा अपीलकर्ता द्वारा किया गया था और एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास बंधक रखा गया था। 'ए' लारी का मालिक था। हालाँकि, बीमा अनुबंध का नवीनीकरण बैंक द्वारा किया जाता था। 'ए' की 1991 में मृत्यु हो गई। 'ए' की मृत्यु के बावजूद, बैंक या 'ए' के उत्तराधिकारियों द्वारा वाहन का पंजीकरण अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण 'ए' के नाम से होता रहा। 1994 में, उक्त वाहन एक 'सी' व्यक्ति द्वारा चलाए जाने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 'सी' की मृत्यु हो गई।

'सी' के कानूनी उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों ने 'ए' की विधवा और अपीलकर्ता के खिलाफ श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 4 के तहत मुआवजे का दावा किया। अपीलकर्ता ने यह कहते हुए अपने दायित्व से इनकार कर दिया कि मृत व्यक्ति के पक्ष में कोई अनुबंध नहीं किया जा सकता है और दुर्घटना की तारीख पर कोई कानूनी बीमा पॉलिसी लागू नहीं थी।

आयुक्त, कर्मकार मुआवजा ने माना कि चूंकि ट्रक का बीमा अपीलकर्ता के द्वारा किया गया था, इसलिए वह मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी था। इसके खिलाफ दायर अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी।

वर्तमान अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह है कि क्या मृतक 'ए' के नाम पर 1994 में किया गया बीमा अनुबंध शुरू से ही शून्य था और मामले की दृष्टि से, अपीलकर्ता के पास मुआवजे का भुगतान करने के लिए कोई वैधानिक या संविदात्मक दायित्व नहीं था।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

अभिनिर्धारित 1.1. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 149 की उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित सीमित आधारों पर बीमाकर्ता अपनी देनदारी से इनकार कर सकता है। अपनी वैधानिक देनदारी से इनकार करने के लिए बीमा कंपनी के पास जो आधार उपलब्ध है उनमें से एक यह है

कि पॉलिसी किसी भौतिक तथ्य के गैर-प्रकटीकरण के कारण या किसी तथ्य के प्रस्तुतीकरण के कारण प्राप्त किया गया शून्य है जो कुछ भौतिक विशिष्टताओं में गलत था। हालाँकि, मौजूदा मामले में, अलग धोखाधड़ी की एक सामान्य और अस्पष्ट दलील उठाने से, उसका कोई विवरण प्रकट नहीं किया गया था। बीमा का अनुबंध बैंक द्वारा अपीलकर्ता के साथ किया गया था। प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया था। बीमा का अनुबंध मृतक 'ए' के नाम बी पर तैयार किया गया हो सकता है, लेकिन अपीलकर्ता की ओर से किसी भी गवाह की जांच यह आरोप लगातेऽ हुए नहीं की गई है, कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी। [पैरा 11 और 12] [953-सी-ई]

1.2. यदि अपीलकर्ता यह जानते हुए कि वाहन के मालिक की मृत्यु हो गई है, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्रीमियम की भारी राशि प्राप्त करके बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण कर रहा था और मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रधिकारियों द्वारा संधारित पंजीकरण पुस्तिका में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों का नाम स्थानांतरित नहीं किया गया है, अपीलकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह किसी तीसरे पक्ष के दावे को संतुष्ट करने के लिए बाध्य नहीं है। [पैरा 13] [953-जी] सी डी

1.3. अनिवार्य बीमा के प्रावधान किसी सामाजिक उद्देश्य को आगे

बढ़ाने के लिए बनाये गये हैं। यह एक तरह से सामाजिक न्याय सिद्धांत का भाग है। जब बीमा का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, तो कानूनन, बीमा कंपनी मालिक को प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होती है। बीमा के एक अनुबंध को एक वैध अनुबंध के गठन की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए लेकिन तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में, प्रश्न एफ पर एक अलग दृष्टिकोण से विचार करना होगा। [पैरा 14] [953-एच; 954-ए-बी]

1.4. मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक वाहन के मालिक के वारिसों का नाम बीमा प्रमाण पत्र या पंजीकरण प्रमाण पत्र में मूल मालिक (मृतक के बाद से) के स्थान पर प्रतिस्थापित न किया जाए, मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु हो गई है, हालांकि वाहन के कब्जे वाले व्यक्ति के लिए उसे सड़क पर चलाने के लिए कोई वैधानिक निषेध मौजूद नहीं है; लेकिन एक वैधानिक निषेधाज्ञा है कि जब तक बीमा की पॉलिसी प्राप्त नहीं की जाती है तब तक इसका पालन नहीं किया जा सकता है, बीमा का अनुबंध लागू करने योग्य होगा। इस प्रकृति के मामले में ऐसा ही होगा क्योंकि बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के उद्देश्य से केवल प्रीमियम का भुगतान करना होगा। [पैरा 15][954-सी-ई]

1.5. वर्तमान मामले में, वाहन को एक राष्ट्रीयकृत बैंक के पास

गिरवी रखा गया था। इसलिए, संभवतः पंजीकरण प्रमाणपत्र में बैंक का नाम भी शामिल है। बैंक ने स्वीकार किया कि प्रीमियम का भुगतान किया गया है। इसलिए कोई भी कारण नहीं दिखता जिससे कि अपीलकर्ता अपने वैधानिक दायित्व से बच सकता है। [पैरा 16 और 17] [954-एफ,जी]

1.6. इस मामले में कोई सक्षम अधिकारी ही यह खुलासा कर सकता था कि क्या 'ए' की विधवा ने किसी दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे या क्या यह तथ्य कि 'ए' की मृत्यु वर्ष 1991 में हो गई थी, अपीलकर्ता के अधिकारियों को दुर्घटना के बाद ही इसका पता चला। यदि इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि 'ए' की मृत्यु वर्ष 1991 में हुई थी, बीमा कंपनी अपनी आँखें खुली रखकर, उक्त 'ए' की विधवा से या बैंक से हर साल प्रीमियम की राशि स्वीकार कर रही थी, आवश्यक निहितार्थ से एक अनुबंध अस्तित्व में आया था। इस प्रकृति के मामले में भी, 'स्वीकृति उप मौन ' का सिद्धांत लागू होगा। [पैरा 19] [955-सी-ई]

1.7. इस मामले में, क़ानून ही अनुबंध की वैधता का ख्याल रखता है। यह जरूरी है। एक बार एक वैध अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, केवल किसी गलती या अन्यथा के कारण, मूल मालिक का नाम पंजीकरण प्रमाणपत्र और/या बैंक के साथ वाहन के बंधक के दस्तावेजों में उल्लिखित किया गया है, जो अभी भी उसके नाम पर जारी है। यह नहीं कहा जा सकता कि अनुबंध स्वयं शून्य है जब तक कि यह नहीं दिखाया गया कि

उक्त अनुबंध प्राप्त करने में धोखाधड़ी की गई थी। न केवल धोखाधड़ी का विवरण प्रस्तुत किया गया था, बल्कि अपीलकर्ता की ओर से एक भी गवाह की जांच नहीं की गई। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता द्वारा बीमा अनुबंध में प्रवेश के मामले में धोखाधड़ी का मामला बनाया गया था। [पैरा 22] [959-जी-एच; 960-ए-बी]

संदर्भित मामले:-

रिखी राम बनाम श्रीमती सुखरानिया, 2003(1) आरसीआर (सिविल) 756: (2003)3 एससीसी 97। अनुच्छेद 7 पर आधारित नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत, 2007(2) आरसीआर (सिविल) 345: 2007(1) आरएजे 956: (2007)3 एससीसी 700। अनुच्छेद 21 पर आधारित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल, 2007(2) आरसीआर (सिविल) 698: 2007(2) आरएजे 307: (2007)5 एससीसी 428। अनुच्छेद 21 पर आधारित डेडप्पा बनाम शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2008(1) आरसीआर (सिविल) 402: 2007(6) आरएजे 668: (2008)2 एससीसी 595। अनुच्छेद 22 पर आधारित

केस कानून संदर्भरू

(2003) 3 सेकंड 97 पर निर्भर पैरा 7

(2001) 3 सेकंड 100 पर निर्भर पैरा 21

(2001) 5 सेकंड 428 पर निर्भर पैरा 21

(2 ववे) 2 सेकंड 595 पर निर्भर पैरा 22

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 7009।

1999 के एफएओ संख्या 112 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 27.5.2005 से।

विष्णु मेहरा और बी.के. सतीजा अपीलार्थी की ओर से ।

जे.एस. अत्री और अंशू अत्री प्रतिवादियों की ओर से ।

एस.बी. सिन्हा, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया-

1. अनुमति स्वीकृत।

2. आत्मा राम शर्मा नाम क k व्यक्ति एक ट्रक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एच आई एन - 4737 का मालिक था। ट्रक एक बैंक के पास गिरवी रखा गया था। आत्मा राम शर्मा की 1991 में किसी समय मृत्यु हो गई। उक्त वाहन का बीमा अपीलकर्ता के पास था। हालाँकि, बीमा अनुबंध का नवीनीकरण बैंक द्वारा किया जाता था। उक्त आत्मा राम शर्मा की मृत्यु के बावजूद, वाहन का पंजीकरण उनके नाम पर स्थानांतरित करने के लिए

बैंक या उनके उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण भी आत्मा राम शर्मा के नाम से होता रहा।

3. दिनांक 15.9.1994 को उक्त वाहन श्री छत्तर सिंह द्वारा चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उक्त छत्तर सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों ने मृतक आत्मा राम शर्मा की विधवा और अपीलकर्ता- बीमा कंपनी के खिलाफ 1,22,400/- रुपये की राशि का दावा करते हुए श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 4 के तहत मुआवजा देने के लिए एक आवेदन दायर किया।

4. अपीलकर्ता को कर्मकार मुआवजा आयुक्त द्वारा नोटिस दिए जाने पर अपीलकर्ता ने अपने उत्तर में निम्नलिखित कथित प्राथमिक आपत्तियां उठाईं:

> "1. जैसा कि कहा गया है, याचिका का पैरा नंबर 1 गलत है, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया है। वास्तव में श्री आत्मा राम की मृत्यु वर्ष 1991 में हुई थी और कथित दुर्घटना की तिथि पर कोई कानूनी बीमा पॉलिसी लागू नहीं थी। यह कहना प्रासंगिक है कि कथित आपत्तिजनक वाहन संख्या एचआईएन-4737 का वास्तविक तथ्यों को छिपाकर 12.5.1994 को पॉलिसी संख्या

111302/31/16/21/0065/94 के माध्यम से धोखाधड़ी से बीमा कराया गया था। कानून के अनुसार भी मृत व्यक्ति के पक्ष में अनुबंध नहीं किया जा सकता। इसलिए भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत बीमा का कथित अनुबंध मुआवजे की किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्रतिवादी नंबर 1 का बीमा नहीं था, इसलिए बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार, कंपनी दावे की क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य नहीं है।"

5. आयुक्त, कर्मकार मुआवजा, पार्टियों की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, कई मुद्दों को तैयार किया, मुद्दा संख्या 5 जो निम्नानुसार है:

"5. क्या आत्मा राम एंड कंपनी के बीच प्रश्नगत ट्रक के बीमा का अनुबंध शून्य है और लागू करने योग्य नहीं है जैसा कि आरोप लगाया गया है... OPP.II"

6. आयुक्त, कर्मकार मुआवजा के आदेश से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि अपीलकर्ता की ओर से किसी गवाह की जांच की गई थी। विद्वान आयुक्त, कर्मकार मुआवज़ा, ने प्रतिवादी के पक्ष में मुद्दा संख्या 5 निर्धारित करते हुए कहा:

"क्या आत्मा राम और कंपनी के बीच ट्रक के बीमा का

अनुबंध शून्य है? आरडब्ल्यू 1 रति राम ने अपने बयान में कहा है कि श्री आत्मा राम ट्रक के मालिक थे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उक्त ट्रक की मालिक हैं। वह गुमानी देवी की सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी है। उन्होंने आगे बताया कि ट्रक का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से किया गया था और बीमा कवर की प्रति Ex.RW 1/8 है। बदकिस्मत ट्रक का ड्राइवर छत्तर सिंह था जिसकी ट्रक दुर्घटना में मृत्यु हो गई वर्ष 1994 में रोनहाट के पास, जिसे प्रति दिन 2000/- रुपये दिए गए थे। जिरह में उन्होंने स्वीकार किया कि आत्मा राम की 1991 में मृत्यु हो गई थी और ट्रक का एसबीआई कफेटा से बीमा कराया गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि दुर्भाग्यपूर्ण ट्रक में छत्तर सिंह नि:शुल्क यात्री था। चूंकि ट्रक का बीमा प्रतिवादी नंबर 2 के साथ किया गया था, इसलिए, मुआवजे की राशि का भुगतान करना बीमा कंपनी का दायित्व है। इसलिए, यह मुद्दा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में और उत्तरदाताओं के खिलाफ तय किया गया है।"

7. मुआवजे के रूप में 1,42,465/- रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया। श्रमिक मुआवजा अधिनियम की धारा 30 के

तहत अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील को उच्च न्यायालय ने रिखी राम और अन्य वी. श्रीमती सुखरानिया और अन्य, 2003(1) आरसीआर (सिविल) 756: [(2003)3 एससीसी 97] के मामले के निर्णय, या इस निर्णय के आधार पर यह बताते हुए खारिज कर दिया:

> "इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाहन के हस्तांतरण के संबंध में बीमा कंपनी को सूचना दी गई है या नहीं दी गई है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत बीमा कंपनी मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है। बीमा कंपनी जिस समय उसने बीमा की पॉलिसी नवीनीकृत की और प्रीमियम स्वीकार किया, उसे यह सत्यापित करना चाहिए था कि आत्मा राम जीवित था या नहीं। वर्तमान मामले में प्रीमियम का भुगतान उस बैंक द्वारा किया गया प्रतीत होता है, जिसके पास वाहन बंधक था।"

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री विष्णु मेहरा ने प्रस्तुत किया कि मृतक आत्मा राम शर्मा के नाम पर 13.5.1994 को या उसके आसपास किया गया बीमा अनुबंध शुरू से ही शून्य था । मामले को देखते हुए, अपीलकर्ता के पास इसके संबंध में वाहन के मालिक की प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई वैधानिक या संविदात्मक दायित्व नहीं था।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अत्री

का तर्क होगा कि बीमा कंपनी द्वारा बीमा का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, बीमा कंपनी पहले से ही प्रीमियम की राशि स्वीकार करते हुए दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

10. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 मोटर वाहनों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मोटर वाहन अधिनियम का अध्याय XI तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों के बीमा का प्रावधान करता है।

धारा 145 एक परिभाषा अनुभाग है, जिसके खंड (बी) में 'बीमा प्रमाणपत्र' को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ धारा 147 की उपधारा (3) के अनुसरण में एक अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र है और इसमें ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाला एक कवर नोट शामिल है। निर्धारित किया जाएगा, और जहां एक पॉलिसी के संबंध में एक से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, या जहां एक प्रमाणपत्र की एक प्रति जारी की गई है, उन सभी प्रमाणपत्रों या उस प्रतिलिपि, जैसा भी मामला हो। धारा 145 का खंड (डी) 'बीमा की पॉलिसी' को परिभाषित करता है जिसमें बीमा का प्रमाण पत्र शामिल है।

धारा 146 में कहा गया है कि जैसा भी मामला हो, जब तक उक्त अध्याय की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली बीमा पॉलिसी प्रभावी न हो, वाहन के उपयोग के संबंध में, एक यात्री के अलावा, उस व्यक्ति या

उसके अन्य व्यक्ति द्वारा मोटर वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा। धारा 147 निम्नलिखित शर्तों में नीतियों की आवश्यकताओं और दायित्व की सीमाओं का प्रावधान करती है:

"(ए) एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है जो अधिकृत बीमाकर्ता है; या

(बी) बीमाकर्ता उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग -

(i) वाहन में ले जाए गए सामान के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि सहित किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी भी दायित्व के खिलाफ] या किसी तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को हुए नुकसान के खिलाफ या सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग से उत्पन्न;

(ii) सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री की सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट के खिलाफ।"

इसके साथ संलग्न परंतुक इस प्रकार है:

"बशर्ते कि किसी पॉलिसी की आवश्यकता न हो -

(i) पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी की उसके रोजगार के दौरान और उससे होने वाली मृत्यु के संबंध में या ऐसे कर्मचारी द्वारा उत्पन्न शारीरिक चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने के लिए ऐसे किसी भी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के अलावा उसके रोजगार के दौरान -

(ए) वाहन चलाने में लगे हुए हैं, या

(बी) यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन है जो वाहन के कंडक्टर के रूप में या वाहन पर टिकटों की जांच करने में लगा हुआ है, या

(सी) यदि यह एक मालवाहक गाड़ी है, जिसे वाहन में ले जाया जा रहा है, या

(ii) किसी भी संविदात्मक दायित्व को कवर करने के लिए।"

11. बीमाकर्ता, अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (2) के तहत सीमित आधार पर अपने दायित्व से इनकार कर सकता है। अपनी वैधानिक देनदारी से इनकार करने के लिए बीमा कंपनी के पास जो आधार

उपलब्ध हैं उनमें से एक यह है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा न करने के कारण या उस तथ्य के प्रतिनिधित्व के कारण प्राप्त की गई पॉलिसी अमान्य है जो कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताओं में गलत था।

12. निर्विवाद रूप से, धोखाधड़ी की एक सामान्य और अस्पष्ट दलील पेश करने के अलावा, उसके किसी भी विवरण का खुलासा नहीं किया गया था। बीमा का अनुबंध बैंक द्वारा अपीलकर्ता के साथ किया गया था। प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा किया गया था। बीमा का अनुबंध मृतक आत्मा राम शर्मा के नाम पर किया गया होगा, लेकिन अपीलकर्ता की ओर से किसी भी गवाह की जांच यह आरोप लगा**rs** हुए नहीं की गई कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

13. जब श्री मेहरा से पूछताछ की गई, तो उन्होंने बहुत ही स्पष्टता से कहा कि बीमा पॉलिसी पुरानी थी और इसे साल-दर-साल नवीनीकृत किया जा रहा था। यदि अपीलकर्ता यह जानते हुए कि वाहन के मालिक की मृत्यु हो गई है और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों का नाम मोटर वाहन अधिनियम के तहत अधिकारियों द्वारा संधारित पंजीकरण पुस्तिका में स्थानांतरित नहीं किया गया है, प्रीमियम की भारी राशि प्राप्त करके वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण कर रहा था। हमारी राय में, अपीलकर्ता को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वह किसी तीसरे पक्ष के दावे को संतुष्ट करने के लिए बाध्य नहीं

था।

14. अनिवार्य बीमा के प्रावधान किसी सामाजिक उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाये गये हैं। यह एक तरह से सामाजिक न्याय सिद्धांत का हिस्सा है। जब बीमा का प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, तो कानूनन, बीमा कंपनी मालिक को प्रतिपूर्ति करने के लिए बाध्य होती है। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं हो सकता है कि बीमा के अनुबंध को वैध अनुबंध के निर्माण की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, लेकिन तीसरे पक्ष के जोखिम के मामले में, प्रश्न पर एक अलग दृष्टिकोण से विचार करना होगा।

15. धारा 146 वैधानिक बीमा का प्रावधान करती है। वाहन के प्रभारी या कब्जे वाले व्यक्ति द्वारा बीमा अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जाना आवश्यक है। मोटर वाहन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक किसी वाहन के मालिक के वारिसों का नाम बीमा प्रमाणपत्र या पंजीकरण प्रमाणपत्र में मूल मालिक (मृतक के बाद से) के स्थान पर नहीं रखा जाता है, मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, ऐसे मामले में जहां मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु हो गई है, हालांकि वाहन के कब्जे वाले व्यक्ति के लिए उसे सड़क पर चलाने के लिए कोई वैधानिक निषेध मौजूद नहीं है; लेकिन एक वैधानिक निषेधाज्ञा है कि बीमा की पॉलिसी प्राप्त होने तक

मोटर वाहन को सार्वजनिक स्थान पर उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हमारी राय है कि बीमा का अनुबंध लागू करने योग्य होगा। इस प्रकृति के मामले में ऐसा ही होगा क्योंकि बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण के उद्देश्य से केवल प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पॉलिसी के नवीनीकरण के लिए भुगतान की गई प्रीमियम की मात्रा बीमा अधिनियम, 1938 के प्रावधानों के अनुसार है।

16. वाहन को एक राष्ट्रीयकृत बैंक में गिरवी रखा गया था। इसलिए, संभवतः पंजीकरण प्रमाणपत्र में बैंक का नाम भी शामिल है। बैंक ने स्वीकार किया कि प्रीमियम का भुगतान किया गया है।

17. इसलिए, हम कोई कारण नहीं देख पाते कि अपीलकर्ता अपने वैधानिक दायित्व से बच सकता है। हमारा ध्यान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 155 की ओर आकर्षित करते हुए श्री मेहरा ने तर्क दिया कि बीमा कंपनी की वैधानिक देनदारी केवल तभी उत्पन्न होती है जब बीमा का मूल अनुबंध, मालिक और बीमाकर्ता द्वारा और उनके बीच दर्ज किया गया था, न कि इस प्रकृति के मामले में उत्पन्न होती है।

18. हमारी राय में, अधिनियम की धारा 155 का इस प्रकृति की स्थिति में कोई उपयोग नहीं कहा जा सकता है। हम अधिनियम की धारा 157 के प्रावधानों को देख सकते हैं, जिसके अनुसार मोटर वाहन के हस्तांतरण के मामले में, बीमा प्रमाणपत्र और पॉलिसी को मोटर वाहन

स्थानांतरण की तिथि से उस व्यक्ति के पक्ष में स्थानांतरित माना जाएगा, जिसे मोटर वाहन हस्तांतरित किया गया है।

19. हमने यहां पहले देखा है कि अपीलकर्ता की ओर से किसी गवाह की जांच नहीं की गई थी। इस मामले में जानकार कोई सक्षम अधिकारी ही यह खुलासा कर सकता था कि क्या दिवंगत आत्मा राम शर्मा की विधवा ने किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे या क्या यह तथ्य कि आत्मा राम शर्मा की मृत्यु वर्ष 1991 में हो गई थी, केवल अपीलकर्ता के अधिकारियों को दुर्घटना घटने के बाद ही पता चला था। यदि इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद कि आत्मा राम शर्मा की मृत्यु वर्ष 1991 में हो गई थी, बीमा कंपनी अपनी आँखें खुली रखते हुए, उक्त दिवंगत आत्मा राम शर्मा की विधवा या बैंक से हर साल प्रीमियम की राशि स्वीकार कर रही थी, हमारी राय में, आवश्यक निहितार्थ से एक अनुबंध अस्तित्व में आया। इस प्रकृति के मामले में भी, 'स्वीकृति उप मौन' का सिद्धांत लागू होगा।

20. इसके अलावा इस न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों में बीमा के वैधानिक अनुबंध और बीमा सरलीकृत अनुबंध के बीच अंतर पर ध्यान दिया। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, रिखी राम (सुप्रा) में इस न्यायालय ने कहा:

> "4. धारा 94 और 95 का अवलोकन आगे दिखाएगा कि उक्त प्रावधान वाहन या मालिकों के लिए अनिवार्य बीमा नहीं

बनाते हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अनिवार्य बीमा तीसरे पक्ष के लाभ के लिए है। बीमा की योजना से पता चलता है कि एक बीमा पॉलिसी तीन प्रकार के जोखिमों को कवर कर सकती है अर्थात वाहन का मालिक, संपत्ति (वाहन) और तीसरा पक्ष। अनिवार्य बीमा कराने का मालिक का दायित्व केवल तीसरे पक्ष के संबंध में है, संपत्ति के लिए नहीं। धारा अधिनियम का 95(5) इस प्रकार चलता है:

"95. (5) किसी भी कानून में कहीं और निहित होने के बावजूद, इस धारा के तहत बीमा की पॉलिसी जारी करने वाला व्यक्ति किसी भी दायित्व के संबंध में पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के मामले में क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे पॉलिसी कवर करने का इरादा रखती है।

5. उपरोक्त प्रावधान से पता चलता है कि इसका उद्देश्य दो कानूनी उद्देश्यों को कवर करना था। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति जो अनुबंध का पक्षकार नहीं था, अनुबंध पर कार्रवाई नहीं करेगा; और दूसरी बात यह कि जिस व्यक्ति को बीमा की विषय-वस्तु में कोई रुचि नहीं है, वह बीमा के लाभ का दावा कर सकता है। इस प्रकार, एक बार वाहन का बीमा हो

जाने पर, मालिक के साथ-साथ कोई भी अन्य व्यक्ति मालिक की सहमति से वाहन का उपयोग कर सकता है। धारा 94 में यह प्रावधान नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो वाहन का उपयोग करेगा, वह अपने अलग उपयोग के संबंध में वाहन का बीमा कराएगा।"

21. हम, इसके अलावा, देख सकते हैं कि हाल ही में इस न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम लक्ष्मी नारायण धुत, 2007(2) आरसीआर (सिविल) 345: 2007(1) RAJ 956: [(2007)3 SCC 700] में निम्नानुसार आयोजित किया:

"17. धारा 149 अध्याय XI का हिस्सा है जिसका शीर्षक है "तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा"। एक महत्वपूर्ण कारक जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह यह है कि बीमा कंपनी और तीसरे पक्ष के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। तीसरे पक्ष से संबंधित देनदारियां और दायित्व केवल अधिनियम की धारा 147 और 149 की कल्पना से निर्मित होते हैं।

23. जैसा कि ऊपर बताया गया है, तीसरे पक्ष और बीमाकर्ता के बीच कोई संविदात्मक संबंध नहीं है। धारा 149 के संदर्भ में वैधानिक हस्तक्षेप के कारण, यह मूल रूप से

क्रियाशील हो जाता है और धारा 149 पूर्ण प्रदान करती है।

24. वैधानिक प्रावधानों की पृष्ठभूमि में, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि क़ानून, एक योग्य तीसरे पक्ष के लिए लाभकारी है। लेकिन वह लाभ दोषी वाहन के मालिक को नहीं दिया जा सकता। तीसरे पक्ष के संबंध में और स्वयं के नुकसान के दावों के संबंध में नकली लाइसेंस के तर्क पर अलग-अलग विचार किया जाना चाहिए।"

एक बार फिर, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल और अन्य, 2007(2) आरसीआर (सिविल) 698: 2007(2) राज 307: [(2007) 5 एससीसी 428] में इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने राय दी :

"12. अधिनियम के अध्याय XI में एक शीर्षक है, "तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ मोटर वाहनों का बीमा"। "तीसरे पक्ष" की परिभाषा एक समावेशी है क्योंकि धारा 145 (जी) केवल यह इंगित करती है कि "तीसरे पक्ष" में सरकार शामिल है। यह धारा 146 है जो मोटर वाहन को सड़क पर चलाने से पहले बीमा कराना अनिवार्य बनाती है। उस धारा का शीर्षक ही "तीसरे पक्ष के जोखिम के खिलाफ बीमा की आवश्यकता" है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि

सीमांत शीर्षक निर्णायक नहीं हो सकता है। यह धारा 147 है जो पॉलिसियों की आवश्यकता और दायित्व की सीमा निर्धारित करती है। इसमें यह प्रावधान है कि अधिनियम के अध्याय XI की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, बीमा की पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जो एक अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा जारी किया जाता है या जो पॉलिसी में निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सीमा तक किसी भी दायित्व के खिलाफ बीमा करता है जो मालिक द्वारा किसी की मृत्यु या शारीरिक चोट या किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण या उससे उत्पन्न होने वाली किसी तीसरे पक्ष की संपत्ति को चोट या क्षति के संबंध में किया जा सकता है। 14-11-1994 से वाहन में ले जाए गए माल के मालिक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को लगी चोट को भी जोड़ा गया। पॉलिसी में सार्वजनिक सेवा वाहन के किसी भी यात्री की सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली या उससे होने वाली मृत्यु या शारीरिक चोट को कवर किया जाना था। फिर, प्रावधान के अनुसार, पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी की उसके रोजगार के दौरान या उससे होने वाली मृत्यु के संबंध में या शारीरिक चोट या ऐसे

कर्मचारी द्वारा अपने रोजगार के दौरान और उसके द्वारा वाहन चलाने में लगे किसी कर्मचारी या जो एक कंडक्टर है, की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व के अलावा, यदि यह एक सार्वजनिक सेवा वाहन है या एक कर्मचारी जिसे माल वाहन में ले जाया जा रहा है, के संबंध में पॉलिसी को दायित्व को कवर करने या किसी संविदात्मक दायित्व को कवर करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपधारा (2) केवल पॉलिसी की सीमाएं निर्धारित करती है।

13. जैसा कि हम अधिनियम की धारा 147(1) को समझते हैं, उसके तहत एक बीमा पॉलिसी को पॉलिसी द्वारा बीमित व्यक्ति के कर्मचारी के रोजगार के दौरान या उससे होने वाली मृत्यु या चोट के संबंध में दायित्व को कवर करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि, यदि यह एक मालवाहक वाहन है तो सार्वजनिक सेवा के मामले में ड्राइवर, कंडक्टर और माल के मालिक या उसके प्रतिनिधि के रूप में वाहन में ले जाए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाला दायित्व न

हो। यह प्रावधान भी किया गया है कि पॉलिसी को किसी संविदात्मक दायित्व को कवर करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारियों से प्रभावित हुए बिना, हमें इस प्रावधान को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि यह प्रावधान क**g**ता है कि पॉलिसी में मालिक के लिए सार्वजनिक स्थान पर वाहन के उपयोग के कारण होने वाली या उससे उत्पन्न होने वाली किसी भी तीसरे पक्ष की देनदारी के खिलाफ और मृत्यु या शारीरिक क्षति के खिलाफ बीमा करना होगा। प्रावधान स्पष्ट करता है कि पॉलिसी में बीमाधारक के किसी कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान या उसके दौरान होने वाली शारीरिक चोट या मृत्यु के संबंध में कवर करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर, अंतिम पूर्वगामी में इस आशय का एक अपवाद प्रदान किया जाता है कि पॉलिसी को यदि वह मालवाहक वाहन है तो वाहन चलाने वाले या काम करने वाले कर्मचारी जो वाहन में एक कंडक्टर या एक कर्मचारी जो सामान ले जाने वाले नियोक्ता के वाहन में यात्रा करता है, की मृत्यु या शारीरिक चोट के संबंध में श्रमिक मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व को कवर करना चाहिए। धारा 149(1), जो किसी पुरस्कार को पूरा करने के लिए बीमाकर्ता

पर दायित्व डालती है, केवल ऐसे दायित्व के संबंध में पुरस्कार की बात करती है जिसे धारा 147 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के तहत पॉलिसी द्वारा कवर किया जाना आवश्यक है जो पॉलिसी की शर्तों द्वारा कवर किया गया दायित्व है)। इसलिए इस प्रावधान का उपयोग दायित्व को बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता है यदि यह अधिनियम की धारा 147 के संदर्भ में मौजूद नहीं है।

14. अधिनियम के अध्याय XI के तहत बीमा पर जोर देने का उद्देश्य अनिवार्य रूप से उनके व्यक्ति या तीसरे पक्ष की संपत्तियों से संबंधित दायित्व को कवर करना प्रतीत होता है और बीमित नियोक्ता के कर्मचारियों चालक, कंडक्टर और सामान ले जाने वाले मालवाहक वाहन में सवार व्यक्ति के संबंध में, दायित्व जो कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923 इसके तहत उत्पन्न हो सकता है।

22. हम डेडप्पा एवं अन्य मामले में इस न्यायालय के फैसले से अनभिज्ञ नहीं हैं । वी. शाखा प्रबंधक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2008(1) आरसीआर (सिविल) 402: 2007(6) आरएजे 668: [(2008)2 एससीसी 595], जिसमें यह न्यायालय, उसमें प्राप्त तथ्यात्मक स्थिति को

ध्यान में रखते हुए, राय दी:

"20. एक अनुबंध पारस्परिक वादे पर आधारित होता है। पार्टियों द्वारा पारस्परिक इकरार एक वैध अनुबंध के लिए पूर्व शर्त हैं। इसके अलावा एक अनुबंध वैद्य प्रतिफल के लिए होना चाहिए।"

इस मामले में, क़ानून ही अनुबंध की वैधता का ख्याल रखता है। यह जरूरी है। एक बार एक वैध अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, केवल किसी गलती या अन्यथा के कारण, मूल मालिक का नाम पंजीकरण प्रमाणपत्र और/या बैंक के साथ वाहन के बंधक के दस्तावेजों में उल्लिखित किया गया है, जो अभी भी उसके नाम पर जारी है, यह नहीं कहा जा सकता कि अनुबंध स्वयं शून्य है जब तक कि यह नहीं दिखाया गया कि उक्त अनुबंध प्राप्त करने में धोखाधड़ी की गई थी। अपीलकर्ता की ओर से न केवल धोखाधड़ी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि किसी गवाह से भी पूछताछ नहीं की गई। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता द्वारा बीमा अनुबंध में प्रवेश के मामले में धोखाधड़ी का मामला बनाया गया था।

23. उपरोक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है। तदनुसार अपील लागत सहित खारिज की जाती है। वकील की फीस 25,000/-. रुपये निर्धारित की गई।

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।